



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

## श्रम विवादों में श्रमकों के लिए आस्थगति कार्रवाई

वह नई प्रक्रिया कौन-सी है, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने जिसकी घोषणा श्रमकों के लिए की है? DHS ने उन श्रमकों के लिए एक नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की है, जो देशान्तरण से अस्थायी सुरक्षा और वर्क परमिट के नविदन के लिए अपने कार्यस्थल पर श्रमक विवाद से जुड़े हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य, श्रमक और रोजगार मानकों को लागू करने की श्रमक एजेंसियों की क्षमता को मजबूत बनाकर, अमेरिका के सभी श्रमकों के लिए नष्पिपक्षता, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना है।

यह किस प्रकार की सुरक्षा देती है?

देशान्तरण से सुरक्षा, आस्थगति कार्रवाई के रूप में आती है और यह दो वर्षों तक के लिए होती है। आस्थगति कार्रवाई, DHS की ओर से वशिष अवधतिके खलिफ देशान्तरण शुरू न करने की प्रतबिद्धता है। जनि व्यक्तियों को आस्थगति कार्रवाई मिलती है, वे वर्क परमिट पाने के पात्र होते हैं, यद वी काम की जरूरत को दर्शा पाएं। आस्थगति कार्रवाई का नवीकरण हो सकता है, यद श्रमक एजेंसी की जांच या कार्यस्थल में हति जारी रहता है। इस प्रक्रिया को कार्यान्वति करने के लिए, दो एजेंसियों को इकट्ठे मलिकर काम करने की जरूरत होती है। वे एजेंसियां संघीय, राज्य या स्थानीय श्रमक एजेंसी होती हैं, जो श्रमक कानून की जांच करती हैं और इसे लागू करती हैं और DHS, जो अप्रवासी कानून लागू करता है। श्रमक एजेंसी को DHS को बताना पड़ता है कि वह श्रमक विवाद की जांच कर रही है और यह किस कार्यस्थल पर वदिशी श्रमकों को जांच में सहयोग करने के लिए देशान्तरण से सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है। श्रमक एजेंसी, DHS को एक पत्र भेजती है (कभी-कभार इसे हति की स्टेटमेंट कहा जाता है), जिसमें वह कार्यस्थल और प्रभावति श्रमकों तथा उन लोगों का वर्णन करती है, जो लोग उस वर्णन के तहत आते हैं, तब वे आस्थगति कार्रवाई के लिए व्यक्तगित तौर पर आवेदन करने के लिए योग्य होते हैं।

कौन योग्य होता है?

योग्य होने के लिए, श्रमक के मौजूदा (या संभवतः पूर्व) नयिकता का, श्रमक एजेंसी में एक खुली जांच के अधीन होना आवश्यक है और श्रमक विवाद की जांच करने वाली श्रमक एजेंसी को आवश्यक रूप से उन श्रमकों के लिए आस्थगति कार्रवाई का समर्थन करते हुए, DHS को एक पत्र पेश करना होता है।

DHS ने किसी श्रमक के श्रमक एजेंसी की हति की स्टेटमेंट में वर्णति श्रमकों के कार्यक्षेत्र के अंदर आने की जरूरत के अलावा अन्य पात्रता शर्तें तय नहीं की हुई हैं। कोई भी बनिा दस्तावेज वाला श्रमक

आवेदन कर सकता है – चाहे वह देशान्तरण की कानूनी कार्यवाहियों में हो, उसे नष्कासन आदेश दिया गया हो या उसका कभी भी 000 या अप्रवासी अदालतों से वास्ता न पड़ा हो। हर कोई एक ही प्रक्रिया का प्रयोग कर सकता है। हालांकि, यह राहत का स्वनरिणयगत रूप है, जिसका अर्थ है कि DHS के स-दर-केस के आधार पर निर्धारित कर सकता है कि आस्थगति कार्रवाई की मंजूरी देनी है या नहीं और किसी भी कारण से इसे अस्वीकार कर सकता है।

### श्रमिक विवाद क्या है?

इस प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए, श्रमिक विवाद तब होता है, जब किसी विशेष कार्यस्थल पर कोई श्रमिक या श्रमिकों का समूह, संघीय, राज्य या स्थानीय एजेंसी, जो जांच शुरू करती है, को श्रमिक या रोजगार कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नियोक्ता ओवरटाइम का भुगतान न कर रहा हो, उचित संख्या में ब्रेक न दे रहा हो, वास्तव में काम बंद होने से पहले ही लोगों को काम समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहा हो या उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदान न कर रहा हो, तो कर्मचारी, नियोक्ता से शिकायत कर सकते हैं और किसी स्थानीय, राज्य या संघीय श्रमिक एजेंसी को उल्लंघन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका नियोक्ता आपके कार्यस्थल संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो किसी स्थानीय श्रमिक अधिकार संगठन से संपर्क करें, जैसे श्रमिक केंद्र।

### यदि मेरा कार्यस्थल पहले से ही श्रमिक विवाद में लपित हो तो क्या होगा?

यदि आपका पहले से ही श्रमिक विवाद चल रहा है, जिसकी जांच हो रही है, लेकिन श्रमिक एजेंसी ने DHS को हति की स्टेटमेंट नहीं भेजी है, तो आपका स्थानीय श्रमिक केंद्र या प्रतिष्ठित कानूनी सेवा प्रदाता भी, नविदन करने में आपकी सहायता कर सकता है।

### श्रमिक एजेंसी आस्थगति कार्रवाई प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है?

जो एजेंसी श्रमिक कानून लागू करती है (जैसे श्रमिक विभाग या राज्य या स्थानीय एजेंसी), उसे सीधे 000 को एक पत्र जारी करना (issue a letter) होता है। पत्र में दिया जाना चाहिए कि एजेंसी किसी विशेष कार्यस्थल की जांच कर रही है और उस कार्यस्थल का नाम बताना चाहिए। पत्र में वसितार से बताया जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को जांच में मदद के लिए देशान्तरण से सुरक्षा की जरूरत है और यह पहचान कि श्रमिकों के कौन-से समूह जांच का हिससा हैं। ध्यान दें कि श्रमिक एजेंसी खुद पत्र जारी नहीं करेगी—श्रमिकों या वकीलों को कुछ कारकों के आधार पर इसका नविदन करना होता है, जैसे श्रमिकों को बदले का डर और उन श्रमिक कानूनों को लागू करने में सरकार का हति, जिनका उल्लंघन किया गया है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक एजेंसी, जून 2020 से जुलाई 2022 तक निर्माण श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान न करने के लिए, किसी निर्माण कंपनी की जांच कर रही है, तो केवल उन्हीं श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने उस अवधि के दौरान कंपनी के लिए काम किया था। ध्यान दें कि इन पत्रों में श्रमिकों का नाम नहीं दिया जाता या उनकी व्यक्तिगत तौर पर पहचान नहीं दी जाती।

### श्रमिक आस्थगति कार्रवाई और कार्य अधिकार के लिए आवेदन कैसे करें?

जो व्यक्ति, श्रमिक एजेंसी के पत्र में वर्णित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, वे आस्थगति कार्रवाई और वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र, USCIS को भेजे जाने चाहिए और आस्थगति कार्रवाई के लिए नविदन, कार्य अधिकार के लिए नविदन करते समय ही भेजा जाना चाहिए। USCIS के पास उन सामग्रियों की सूची होती है, जो आवेदनों में होनी चाहिए, जो इसकी वेबसाइट (website) पर उपलब्ध है। ध्यान दें कि आस्थगति कार्रवाई के लिए नविदन की कोई फीस या खर्चा नहीं होता, लेकिन कार्य अधिकार के

लएि नविं दन हेतु 410 डॉलर की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान जरूरी होता है, जब तक कआवेदक फीस से छूट की मांग नहीं करता।

**मैं आवेदन-पत्र कहाँ भेजूँ?**

आवेदन-पत्र नमिन पते पर भेजे जाने चाहिए:

USCIS

Attn: Deferred Action

10 Application Way

Montclair, CA 91763-1350

**क्या आस्थगति कार्रवाई और कार्य अधिकार का नवीनीकरण होता है?**

शायद ऐसा होता है, यह इस पर निर्भर करता है कि श्रमिक जांच में कतिना समय लगता है। USCIS ने इस समय कोई नवीनीकरण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की है। यदि ऐसा होता है तो हम अपडेट किया अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जारी करेंगे।

**क्या यह कार्यक्रम स्थायी कानूनी स्थिति का रास्ता है?**

नहीं, आस्थगति कार्रवाई, अमेरिका में रहने की केवल अस्थायी अनुमति है।

**क्या आवेदन करने के कोई जोखिम हैं?**

यदि इस समय नष्टिकासन कार्यवाहियों में नहीं हैं या आपके खिलाफ नष्टिकासन का अंतिम आदेश दिया गया है, तो आस्थगति कार्रवाई के लिए आवेदन करने का अधिनियम USCIS को सचेत करता है कि आप देश में हैं, जिससे हमेशा यह जोखिम होता है कि आपके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्णय लेगे, विशेषकर यदि उन्हें पता न हो कि आप पहले ही पेश हो चुके थे। ये आवेदन-पत्र गोपनीय होते हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि विभिन्न राष्ट्रपति शासन, श्रमिकों की स्थिति की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें देशान्तरण कार्यवाहियों में डालने के लिए आवेदन-पत्रों में मौजूद जानकारी का प्रयोग करने का चयन कर सकते हैं। साथ ही, यदि आपका किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड है, गरिफ्तारी सहति, तो हम विशेष रूप से सलाह देते हैं कि आप आस्थगति कार्रवाई का नविं दन करने से पहले, किसी अप्रवासी कानून प्रैक्टिशनर से बात कर लें, जैसे अप्रवासी वकील। DHS ने कहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग संभावित रूप से योग्य हैं, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड होने से इस बात का जोखिम बढ़ सकता है कि DHS, आपके आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दे और आपके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करे।

इस नई प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लंबे NILC द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ by NILC) और [DHS की सलाह \(DHS guidance\)](#) पढ़ें।



कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी सामुदायिक सदस्यों के लिए संसाधन के तौर पर दी गई है और इसे कानूनी सलाह न समझें। इस संसाधन के बारे में सवालों के लिए, ऐन गार्शिया (Ann Garcia) को [agarcia@nipnlg.org](mailto:agarcia@nipnlg.org) पर अथवा जेसी हान (Jessie Hahn) को [DAforWorkers@nilc.org](mailto:DAforWorkers@nilc.org) पर संपर्क करें।